स्मरण–पत्र
अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांकःएफ.4(1)( )पोषा/S.H.G./मबावि/2007/18533-565 जयपुर, दिनांकः 16.9.14

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषय :– विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था के माध्यम से पूरक पोषाहार वितरण के सम्बन्ध में।
संदर्भ :– समसंख्यक विभागीय आदेश क्रमांक 70826–892 दिनांक 21.07.2014

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 196/2001 में दिनांक 07.10.2004 को पारित आदेशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा आगामी तीन माह में ऐसी परियोजनाएं, जिन्हें पूर्व में विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था हेतु चयनित किया जा चुका है, किन्तु विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था असफल रहने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत पूरक पोषाहार की आपूर्ति की जा रही है, में पुनः विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था प्रारम्भ करने हेतु कार्ययोजना संलग्न करते हुए निर्धारित दिनांक अथवा इससे पूर्व चयनित परियोजनाओं में विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये है।

उक्त निर्देशों की समीक्षा के दौरान यह देखा गया है कि जिन परियोजनाओं में दिनांक 01.09.2014 से विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था लागू की जानी थी, उन परियोजनाओं के लिए भी माह सितम्बर, 2014 के लिए पूरक पोषाहार मांग पत्र निदेशालय को प्रेषित किये गये है। इस संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित दिनांक के पश्चात् उक्त परियोजनाओं हेतु केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत पूरक पोषाहार का आवंटन किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

अतः योजना के सफल कियान्वयन हेतु सभी सार्थक प्रयास करते हुऐ विभागीय निर्देशानुसार आंगनबाडी केन्द्रों पर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पूरक पोषाहार की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जावें। समस्त उप निदेशक अपने अधीनस्थ संचालित बाल विकास परियोजनाओं में उक्त कार्यक्रम की समीक्षा कर प्रगति सूचना प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें।

(डॉ. पृथ्वी)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

Directorate of Integrated Child Development Services, 2, Jal Path, Gandhi Nagar, Jaipur- 302015
Ph. No.0141- 2700246, fax 0141-2705638, 2700281 e-mail - adn.wcd@rajasthan.gov.in
Web-Site www.wcd.rajasthan.gov.in